पत्र संख्या– जी0एस0टी0 / 2017–18 / 1368 / वाणिज्य कर

कार्यालय, कमिश्नर वाणिज्य कर
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक, 7, फरवरी, 2018

शुद्धि पत्र

(कार्यालय आदेश संख्या–278 / राज्य कर दिनांक 01.07.2017 के संबंध में)

इस कार्यालय के आदेश संख्या–278 / जी.एस.टी. / 2017–18 / राज्य कर दिनांक 01.07.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम–2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम–1 / 2017) की धारा–4(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम–2017 की विभिन्न धाराओं में उचित अधिकारी(प्रॉपर ऑफिसर) नामित किया गया था तथा उक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 01.07.2017 के अनुलग्नक 'क' के अनुसार राज्य कर के खण्डों की भौगोलिक सीमा निर्धारित की गयी है।

उक्त के संबंध में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 मुरादाबाद द्वारा पत्र सं0– 3820 दिनांक 20.12.2017 से अवगत कराया गया है कि तत्समय प्रचलित वैट अधिनियम के तहत परिपत्र संख्या एस.एस.–1(45)–वैट खण्ड पुनर्गठन(मुरादाबाद) / 2017–08 / 1560 दिनांक 19.02.2008 से मुरादाबाद मण्डल के खण्डों की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण किया गया था।

पुनः परिपत्र दिनांक 19.02.2008 से निर्धारित मुरादाबाद मण्डल के अधीन आने वाले खण्डों की भौगोलिक सीमाओं को अतिक्रमित करते हुए परिपत्र संख्या– एस0एस0–एक(45)–वैट खण्ड पुर्नगठन– / (मुरादाबाद) / 2007–2008 / 20 / वाणिज्य कर दिनांक 04 अप्रैल 2008 से मुरादाबाद जनपद के समस्त 10 खण्डों के अधिक्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया तथा इस परिपत्र को दिनांक 01 अप्रैल 2008 से प्रभावी किया गया ।

जी.एस.टी. लागू होने से पूर्व दिनांक 04 / 04 / 2008 को जारी परिपत्र से निर्धारित मुरादाबाद मण्डल के अधीन आने वाले खण्डों की भौगोलिक सीमा के अनुरूप ही जी.एस.टी. पोर्टल पर मुरादाबाद मण्डल के अधीन आने वाले खण्डों की आई.टी. मैपिंग भी की गई, किन्तु जी.एस.टी. व्यवस्था लागू होने के उपरान्त जारी आदेश संख्या–278 / जी.एस.टी. / 2017–18 / राज्य कर दिनांक 01.07.2017 द्वारा मुरादाबाद मण्डल के खण्डों की भौगोलिक सीमा निर्धारित करते समय टंकण की त्रुटि के कारण पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 19.02.2008 से निर्धारित भौगोलिक सीमा का उल्लेख कर दिया गया है।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 जोन मुरादाबाद द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र में मुरादाबाद मण्डल के खण्डों का भौगोलिक क्षेत्र परिपत्र दिनांक 04.04.2008 से निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र तथा जी.एस.टी. पोर्टल पर तद्नुरूप की गई मैपिंग के अनुरूप ही करने का अनुरोध किया गया है।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 जोन मुरादाबाद द्वारा पत्र संख्या–3820 दिनांक 20.12.2017 से संज्ञान में लाए गए तथ्यों से टंकण की यह त्रुटि पूर्णतः स्पष्ट है एवं संशोधन के योग्य है।

उक्त के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या–278 / दिनांक 01.07.2017 के अनुलग्नक 'क' के पृष्ठ सं0 79 व 80 को निम्नवत संशोधित समझा व पढ़ा जाये –

बागपत	खण्ड–2 बड़ौत	मेरठ बड़ौत रोड पुलिस चौकी से देहली रोड पर बाजार से होकर जाते हुए बाजार का दॉया हिस्सा देहली अड्डे तक तथा देहली अड्डा से सहारनपुर की ओर जाते हुये देहली रोड का बॉया व दॉया हिस्सा तथा बागपत की ओर जाने वाली रोड का दॉया हिस्सा व छपरौली ब्लाक का समस्त एरिया तथा वह क्षेत्र जो बड़ौत के किसी भी खण्ड में सम्मिलित नहीं है।
	एकल खण्ड	बड़ौत तहसील को छोड़कर जनपद बागपत का समस्त क्षेत्र।
मुरादाबाद	खण्ड–1	मझोला पावर हाउस से (चौधरी चरण सिंह चौक) से पूर्व की ओर दिल्ली रामपुर रोड पर चलते हुये लोकोशेड पुल पार करके, फव्वारा तिराहा से कपूर कम्पनी चौराहा, रेलवे स्टेशन, इम्पीरियल सिनेमा तिराहा, रेलवे माल गोदाम, कटघर पुलिस स्टेशन रोड से होते हुये रामपुर रोड पर हनुमान मूर्ति से रामगंगा पुल तक दॉयी ओर का समस्त व्यापारिक क्षेत्र। मुरादाबाद नगरपालिका को छोड़ते हुये मुरादाबाद तहसील का भाग जिसमें दलतपुर मूण्डापान्डे, भोजपुर, पीपलसाना, सरकड़ा आदि गांव के व्यापारिक क्षेत्र।
	खण्ड–2	चौमुखा पुल से रेती स्ट्रीट होते हुए तहसील स्कूल के चौराहे तक तथा यहां से दायी ओर मुड़ते हुए चौकी हसनखां होते हुए दीवान बाजार चौराहे से नबाबपुरा होते हुए रामगंगा तक दायी ओर का समस्त व्यापारिक क्षेत्र। चौमुखापुल से अमरोहा गेट होते हुए मण्डी चौक तक तथा मण्डी चौक चौराहे से दरीबापान होते हुए जी0आई0सी0 तक बांयी ओर का क्षेत्र, जी0आई0सी0 से जामा मस्जिद चौक होते हुए पानी की टंकी के पास से होते हुए रामगंगा तक का बायी ओर का समस्त व्यापारिक क्षेत्र। नवाबपुरा से रामगंगा के किनारे से दायी ओर चलते हुए जी0आई0सी0 तक तथा जी0आई0सी0 से दायी ओर चलते हुए चौमुखापुल तक का दायी ओर का समस्त व्यापारिक क्षेत्र।
	खण्ड–3	कपूर कम्पनी चौराहे से उत्तर की ओर फायर सर्विस स्टेशन होते हुए चौराहा गंज गुरहट्टी तक दायी ओर होते हुए गंज बाजार से कोतवाली होते हुए तहसील से होते हुए चौमुखापुल तक तथा यहां से अमरोहा गेट तक तथा अमरोहा गेट से कटरानाज होते हुए बुध्दबाजार के चौराहे तक दायी ओर का व्यापारिक क्षेत्र तथा यहां से टाउन हाल चौराहे तक का पड़ने वाला दोनों मार्गो का दोनों ओर का समस्त व्यापारिक क्षेत्र। बुंध्द बाजार चौराहे से इम्पीरियल सिनेमा तक का दायी ओर का क्षेत्र तथा यहां से कपूर कम्पनी तक का दायीं ओर का क्षेत्र।
	खण्ड–4	इम्पीरियल सिनेमा तिराहे से उत्तर दिशा की ओर बुध्द बाजार तक का दायी ओर का भाग, बुध्द बाजार से कटरानाज की ओर चलते हुए अमरोहा गेट तक का दायीं ओर का भाग। अमरोहा गेट सलाम होटल के सामने से चलते हुए असालतपुरा चौराहा, यहां से भट्टी स्ट्रीट होते हुए हाथीखाना होते हुए संभली गेट, यहां से गलशहीद चौराहे तक का दायीं ओर का क्षेत्र, यहां से भूड़े का चौराहा, प्रिंस रोड के दायी ओर होते हुए वाजिद बिल्डिंग होते हुए, चढ्ढा सिनेमा होते हुए रामपुर दिल्ली रोड़ पर इम्पीरियल सिनेमा तक का दायी ओर का समस्त व्यापारिक क्षेत्र।
	खण्ड–5	रामपुर–दिल्ली रोड़ पर लोकोशैड पुल को पार करते हुये, मझोला पावर हाउस तक दायीं ओर तथा वहां से मुरादाबाद तहसील की सीमा समाप्त होने तक दोनों ओर का समस्त व्यापारिक क्षेत्र। लोकोशैड पुल से फव्वारा तिराहे तक का बायी ओर चलते हुये पीलीकोठी तक का बायी ओर का व्यापारिक क्षेत्र तथा यहां से बायी ओर चलते हुए कांठ रोड पर हरथला इन्डस्ट्रियल एरिया एवं मुरादाबाद तहसील सीमा में कांठ रोड़ पर अगवानपुर रेलवे क्रासिंग तक बायी ओर पड़ने वाला समस्त व्यापारिक क्षेत्र। मुरादाबाद नगरपालिका क्षेत्र का वह भाग जो किसी भी अन्य खण्डों में सम्मिलित नहीं है।

मुरादाबाद	खण्ड–6	अमरोहा गेट(सलाम होटल) के चौराहे से दायी ओर चलते हुये बर्तन बाजार होते हुए मण्डी चौक चौराहे तक, यहां से पान दरीबा की ओर चलते हुये दायी ओर का भाग, यहां से जी0आई0सी0 तक दायी ओर का भाग, मुगलपुरा कोतवाली के आगे शहजादे वाली सड़क पर दांयी ओर चलते हुए इन्दिरा चौक से दांयी ओर चलते हुए मोहल्ला तबाकियान, यहां से हाथीखाना होते हुए अब्दुल सलाम स्कूल होते हुये अमरोहा गेट(सलाम होटल) तक का दायीं ओर का समस्त व्यापारिक क्षेत्र।
	खण्ड–7	रामपुर रोड, पुराने माल गोदाम के सामने से मिगलानी सिनेमा रोड़ होते हुये डबलफाटक चौराहे से आगे, प्रभात मार्केट से होते हुये रामगंगा पुल तक बायी ओर का क्षेत्र तथा गुलाबबाड़ी फाटक होकर, यहां से कटघर पुलिस चौकी तक, यहां से मकबरा होते हुए इन्दिरा चौक होते हुये गलशहीद चौराहा, प्रिन्स रोड़ होते हुये पुराने माल गोदाम के सामने तक का बायी ओर का समस्त व्यापारिक क्षेत्र।
	खण्ड–8	रामगंगा रेल पुल कटघर से गुलाबबाड़ी होते हुए, कटघर चौकी, यहां से इन्दिरा चौक होते हुये दायीं ओर का क्षेत्र, यहां से सीधे जामा मस्जिद(पानी टंकी रामगंगा तक) का दायीं ओर का समस्त व्यापारिक क्षेत्र। कटघर रेलवे पुल से ऋषिकुल स्कूल होते हुए, जामा मस्जिद तक का बायी एवं दायीं ओर पड़ने वाला समस्त व्यापारिक क्षेत्र तथा तहसील ठाकुरद्वारा का समस्त व्यापारिक क्षेत्र।
	खण्ड–9	फव्वारा तिराहे से कपूर कम्पनी रोड़ पर बायीं ओर हैलेट रोड़, कोर्ट रोड़, चौराहा गुरहट्‌टी, चौराहा डिप्टीगंज, चौराहा बंगला गांव, चौकी नागफनी तक, पुराना दसवां घाट रोड, रामगंगा तक बायी ओर का व्यापारिक क्षेत्र। फव्वारे से पीली कोठी तक का दायी ओर का व्यापारिक क्षेत्र तथा पीली कोठी चौक से कांठ रोड पर दायी ओर का समस्त भाग रेलवे क्रांसिंग अगवानपुर तक तथा अगवानपुर रेलवे क्रांसिग से आगे कांठ रोड का दोनों ओर का समस्त व्यापारिक क्षेत्र जिसमें अगवानपुर व कांठ तहसील का समस्त व्यापारिक क्षेत्र है।
	खण्ड–10	चौराहा गंज गुरहट्‌टी (गणेश स्वीट्स वाली लाइन) से बायी ओर चलते हुए चौमुखापुल तक बायीं ओर का भाग, चौमुखा पुल से रेती स्ट्रीट पर चलते हुये बायें हाथ का समस्त व्यापारिक क्षेत्र तहसील स्कूल तक, तहसील स्कूल से चौकी हसन खाँ, दीवान का बाजार चौराहे होते हुये, नबाबपुरा होते हुये राम गंगा तक का बायी ओर का समस्त व्यापारिक क्षेत्र। चौराहा गंज गुरहट्‌टी से डिप्टी गंज चौराहा, बंगला गांव चौराहा होते हुये टचिंग ग्राउन्ड होते हुये पुराने दसवां घाट रोड रामगंगा नदी तक दांयी ओर का समस्त व्यापारिक क्षेत्र।

Kan

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।